Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

209-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025 (AGRAHAYANA 26, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 17th December, 2025

No. 35-HLA of 2025/76/28910.— The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 35- HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Housing Board Act, 1971.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Housing Board (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 80 of Haryana Act 20 of 1971.

2. For sub-section (2) of section 80 of the Haryana Housing Board Act, 1971, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) With effect from the date specified in the notification under sub-section (1) where the Board has been dissolved, all properties, funds, assets, liabilities, obligations and employees shall vest in the State Government and the State Government may, by order, direct that such properties, funds, assets, liabilities, obligations and employees shall stand transferred to the Haryana Shehri Vikas Pradhikaran or to any other local authority or agency, as may be specified by the State Government. The transferee entity shall be deemed to be the successor-in-interest of Board to the extent so specified and all legal proceedings, contracts and liabilities subsisting on the date of dissolution shall be enforceable by or against the transferee accordingly.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, -

(i) "local authority" means any authority constituted under a State law for the purpose of administration.

(ii) "agency" means any government department, board, corporation, body corporate, society, or other entity or organization (whether statutory or not) that the State Government may notify from time to time for the purpose of undertaking or managing housing, urban development, or related functions.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The **Housing Board Haryana**, established under the *Haryana Housing Board Act, 1971*, has been engaged in the construction of housing and related urban infrastructure in the State. Over time, its operational functions have increasingly overlapped with those of the **Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (H.S.V.P.)**, which also operates under a statutory framework to develop housing and planned urban infrastructure.

To eliminate duplication of administrative efforts, improve urban planning integration and enhance service delivery, the Hon'ble Chief Minister announced the dissolution of the Housing Board Haryana and its merger into H.S.V.P. However, while Section 80 of the 1971 Act allows for the Board's dissolution through legislative resolution and government notification, there is no explicit provision authorizing the State Government to transfer the assets, liabilities, employees, and obligations of the dissolved Board to H.S.V.P. or any other successor body.

To remedy this legal gap and to ensure seamless transition and succession of all functions, liabilities, employees, legal obligations and contracts of the Board, it is proposed to substitute Section 80 (2) of the *Haryana Housing Board Act, 1971*.

This amendment will:

- Legally empower the State Government to merge the assets and functions of the dissolved Board with H.S.V.P. or any other local authority or agency;
- Clarify legal succession and enforceability of ongoing litigation and contracts;
- Provide the necessary statutory cover to complete the proposed institutional restructuring.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 17th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

Financial Memorandum

The proposed Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 2025 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 35 एच.एल. ए.

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 80 का (संशोधन)

2. हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, जहां बोर्ड विघटित कर दिया गया है, सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, राज्य सरकार में निहित होंगे और राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसी सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में अंतरित हो जाएंगे। अंतरिती इकाई को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक बोर्ड के हित उत्तराधिकारी के रूप में समझा जाएगा और विघटन की तिथि को विद्यमान सभी विधिक कार्यवाहियां, संविदाएं तथा दायित्व, अंतरिती द्वारा अथवा के विरूद्ध तदनुसार प्रवर्तनीय होंगे।

व्याख्या.– इस उपधारा के प्रयोजनो हेतु,–

(i) "स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, प्रशासन के प्रयोजन हेतु किसी राज्य विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण;

(ii) "अभिकरण'' से अभिप्राय है, कोई सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय, सोसाइटी, या अन्य इकाई या संगठन (चाहे संवैधानिक हो या नहीं), जिसे राज्य सरकार, आवासन, शहरी विकास या संबंधित कृत्यों का उत्तरदायित्व लेने या प्रबन्धन करने के प्रयोजन हेतु समय–समय पर अधिसूचित करे।''।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित, **हरियाणा आवास बोर्ड**, राज्य में आवास और संबंधित शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में लगा हुआ है। समय के साथ, इसके संचालन संबंधी कार्य **हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.)** के कार्यों के साथ अधिकाधिक रूप से ओवरलैप होते गए हैं, जो आवास और नियोजित शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है।

प्रशासनिक प्रयासों के दोहराव को समाप्त करने, शहरी नियोजन एकीकरण में सुधार लाने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग करने और एच.एस.वी.पी. में इसके विलय की घोषणा की। हालाँकि, 1971 के अधिनियम की धारा 80 में विधायी प्रस्ताव और सरकारी अधिसूचना के माध्यम से बोर्ड को भंग करने की अनुमति है, लेकिन राज्य सरकार को भंग बोर्ड की संपत्ति, देनदारियों, कर्मचारियों और दायित्वों को एच.एस.वी.पी. या किसी अन्य उत्तराधिकारी निकाय को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

इस कानूनी अंतर को दूर करने तथा बोर्ड के सभी कार्यों, दायित्वों, कर्मचारियों, कानूनी दायित्वों और अनुबंधों के निर्बाध संक्रमण और उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन होगा:

- राज्य सरकार को विघटित बोर्ड की परिसंपत्तियों और कार्यों को एच.एस.वी.पी. या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी के साथ विलय करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाना;
- चल रहे मुकदमेबाजी और अनुबंधों की कानूनी उत्तराधिकार और प्रवर्तनीयता को स्पष्ट करना;
- प्रस्तावित संस्थागत पुनर्गठन को पूरा करने के लिए आवश्यक वैधानिक कवर प्रदान करना।

विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 17 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 से राज्य की संचित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय सम्मिलित नहीं है।

12288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.